न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 34 / 2025

प्रार्थी –	***बनाम***	**अप्रार्थीगण –**
1. ठाकराराम पुत्र हीराराम 2. गोमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी मेहलु तहसील मेहलु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मेहलु 2. हरीकिशन पुत्र भंवरलाल जाति माहेश्वरी निवासी मेहलु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.03.2022 जो ग्राम पंचायत मेहलु द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 35 / 2025

प्रार्थी –	***बनाम***	**अप्रार्थीगण –**
1. ठाकराराम पुत्र हीराराम 2. गोमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी मेहलु तहसील मेहलु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मेहलु 2. विवेकरतन पुत्र भंवरलाल जाति माहेश्वरी निवासी मेहलु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 35 दिनांक 08.03.2022 जो ग्राम पंचायत मेहलु द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :– उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में–

1. श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 11.02.2026

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मेहलु द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम मेहलु में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आवासीय पट्टा सं. 33 एवं 35 दिनांक 08. 03.2022 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त दोनों निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मेहलु का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम मेहलु के जागरूक नागरिक है तथा ग्राम के हितार्थ यह याचिका प्रस्तुत की गई है। ग्राम मेहलु में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहलु का परिसर आया है तथा राज्य सरकार/ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल प्रशासन को समय–समय पर उनके विकास हेतु जमीन दी जाती रही है। वर्तमान समय राज्य सरकार द्वारा स्कूल प्रशासन में छात्राओं के अच्छे भविष्य को मध्य नजर रखते हुए लेब हेतु रूपये 92.17 लाख का आवंटन किया गया है। जिस राशि से स्कुल प्रशासन द्वारा लेब का कार्य करवाने हेतु निर्माण सामग्री डाली गई तब विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा स्कुल प्रशासन द्वारा करवाये जा रहे निर्माण को रूकवाते हुए वादग्रस्त भूमि का पट्टा अपने पक्ष में जारी होना बताया तथा विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा इस बाबत स्कुल प्रशासन के कार्य को रूकवाने हेतु निगरानीकर्ता के विरूद एक झूठा वाद पत्र प्रस्तु[illegible] प्रशासन की भूमि का फर्जी रूप से प्राप्त पट्टा की प्रति प्र[illegible] की [illegible]ई। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि मौके पर लोकेट नहीं हो[illegible]जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:13 IST
Reason: SelfAttested

5. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 02 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा या रहवास नहीं रहा है तथा विप्रार्थी संख्या 02 पिछले

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

कई साल से ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा मे निवास कर रहा है तथा उसके समस्त दस्तावेज भी वही के बने हुए है। उक्त पट्टा पत्रावली में मौका निरीक्षण के पश्चात नियम 148 के तहत पट्टा स्थल के संबंध में आपतियां मंगवाई जाती है तथा आपति नोटिस वादग्रस्त स्थल एवं पंचायत के बोर्ड पर दो साक्षियों के रूबरू चस्पा एवं पंचायत के बोर्ड पर दो साक्षीयों के रूबरू चस्पा किया जाता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में आपति नोटिस के संबंध में कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई। ऐसी स्थिति में भी आलौच्य पट्टा विधिनुसार प्रक्रिया अपनाये बिना ही जारी किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

6. अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम पंचायत मेहलु की आबादी भूमि में अप्रार्थी का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत मेहलु द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 33 एवं 35 दिनांक 05.08.2017 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत मेहलु द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत मेहलु की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी का यह कथन भी मनगढत एवं आधारहीन हैं कि उक्त भूखण्ड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहलु को आंवटित हुआ हैं प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का यह कथन भी सरसर असत्य हैं कि आलौच्य पट्टे की कार्यवाही पश्चातवर्ती तिथि में कूटरचना द्वारा की गई हैं जबकि पूर्ववर्ती सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. हमने दोनो पत्रावलियो का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि ... ग्राम मेहलु के जागरूक नागरिक है तथा ग्राम के हितार्थ यह ... की गई है। ग्राम मेहलु में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ... आया है तथा राज्य सरकार/ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल प्रशासन को समय–समय पर उनके विकास हेतु जमीन दी जाती रही है। वर्तमान समय राज्य सरकार द्वारा स्कूल प्रशासन में छात्राओं के अच्छे भविष्य को मध्य नजर रखते हुए लेब हेतु रूपये 92.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लाख का आवंटन किया गया है। इस कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रार्थना–पत्र हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इसके उपरांत भी प्रार्थी का यह कथन भी साक्ष्यों से परे हैं कि आलौच्य पट्टे की कार्यवाही पश्चातवर्ती तिथि में कूटरचना द्वारा की गई हैं जबकि पूर्ववर्ती सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत मेहलु के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पुराने कब्जे के विनियमितिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.11.2021 को प्रस्तुत होने पर स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका लिखी गई हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 2 भी पारित हुआ हैं। इसके पश्चात दिनांक 06.12.2021 की बैठक में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया। आगामी बैठक दिनांक 20.01.2022 को प्रस्ताव सं. 02 पारित करते हुए पट्टा संख्या 33 एवं 35 में क्रमशः नियमानुसार शुल्क राशि 32558/– एवं 32914/–जमा करने पर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत मेहलु द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 33 एवं 35 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:13 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर